

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-रायबरेली, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ललितपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर,  
लखीमपुर-खीरी एवं फैजाबाद।

पत्रांक: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/एन0पी0पी0सी0/2018-19/6855-10 दिनांक 24/9/18

विषय : National Programme for Palliative Care (NPPC) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में  
विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National Programme for Palliative Care (NPPC) हेतु  
भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में 10 जनपदों हेतु रु0 302.60 लाख की धनराशि का  
अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार  
व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध  
धनराशि से किया जायेगा-

| National Palliative Care Programme (NPPC) |                   |                                                                     |                                                 |                                                             |                           |                                                                                                         |                                                                       | Amount in Rs. |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sl. No.                                   | Name of Districts | 10 Palliative Care Physician @ Rs. 90000/- PM (Salary for 12 month) | 40 Nurse @ Rs. 20000/- PM (Salary for 12 month) | 10 Multi Task Worker @ Rs. 12000/- PM (Salary for 12 month) | Drugs @ Rs. 5.00 lacs P.A | Training of PHC Medical officers, Nurse, Paramedical workers, & other Health Staff @ Rs. 2.00 lacs P.A. | Misc. Travel / POL/ Stationery / Communication etc Rs. 1.00 lacs P.A. | Total         |
|                                           | FMR CODE          | 8.1.3.1                                                             | 8.1.1.2                                         | 8.1.16.3                                                    | 6.3                       | 9.5.8.1                                                                                                 | 16.1                                                                  |               |
| 1                                         | Etawah            | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 2                                         | Faizabad          | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 3                                         | Farrukhabad       | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 4                                         | Firozabad         | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 5                                         | Jalaun            | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 6                                         | Jhansi            | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 7                                         | Lakhimpur Kheri   | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 8                                         | Lalitpur          | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 9                                         | Raebareli         | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 10                                        | Sultanpur         | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| Total                                     |                   | 10,800,000.00                                                       | 9,600,000.00                                    | 1,440,000.00                                                | 5,000,000.00              | 2,000,000.00                                                                                            | 1,000,000.00                                                          | 29,840,000.00 |

3. प्रशिक्षण मद में 50 प्रतिभागियों हेतु प्रति जनपद रु0 2.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा भारत सरकार से टी0ओ0टी0 तथा दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. धनराशि की स्वीकृति मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. एफ0 एम0आर0 मद सं0 16.3 पर Drugs एवं 16.1 पर Misc.Travel/ POL/ Stationery/ Communication etc हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में करना सुनिश्चित किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
9. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटचूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,  
(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक  
तददिनांक

पत्रांक: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0पी0सी0 / 2018-19 /  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि राज्य नोडल अधिकारी, एन0पी0पी0सी0 को कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0



प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
जनपद-रायबरेली, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ललितपुर, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर,  
लखीमपुर-खीरी एवं फैजाबाद।

पत्रांक: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / एन0पी0पी0सी0 / 2018-19 /

दिनांक 24/9/18

विषय : National Programme for Palliative Care (NPPC) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में  
विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National Programme for Palliative Care (NPPC) हेतु भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में 10 जनपदों हेतु रु0 302.60 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा-

| National Palliative Care Programme (NPPC) |                   |                                                                     |                                                 |                                                             |                           |                                                                                                         |                                                                       | Amount in Rs. |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sl. No.                                   | Name of Districts | 10 Palliative Care Physician @ Rs. 90000/- PM (Salary for 12 month) | 40 Nurse @ Rs. 20000/- PM (Salary for 12 month) | 10 Multi Task Worker @ Rs. 12000/- PM (Salary for 12 month) | Drugs @ Rs. 5.00 lacs P.A | Training of PHC Medical officers, Nurse, Paramedical workers, & other Health Staff @ Rs. 2.00 lacs P.A. | Misc. Travel / POL/ Stationery / Communication etc Rs. 1.00 lacs P.A. | Total         |
|                                           | FMR CODE          | 8.1.3.1                                                             | 8.1.1.2                                         | 8.1.16.3                                                    | 6.3                       | 9.5.8.1                                                                                                 | 16.1                                                                  |               |
| 1                                         | Etawah            | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 2                                         | Faizabad          | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 3                                         | Farrukhabad       | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 4                                         | Firozabad         | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 5                                         | Jalaun            | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 6                                         | Jhansi            | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 7                                         | Lakhimpur Kheri   | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 8                                         | Lalitpur          | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 9                                         | Raebareli         | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| 10                                        | Sultanpur         | 1,080,000.00                                                        | 960,000.00                                      | 144,000.00                                                  | 500,000.00                | 200,000.00                                                                                              | 100,000.00                                                            | 2,984,000.00  |
| Total                                     |                   | 10,800,000.00                                                       | 9,600,000.00                                    | 1,440,000.00                                                | 5,000,000.00              | 2,000,000.00                                                                                            | 1,000,000.00                                                          | 29,840,000.00 |

3. प्रशिक्षण मद में 50 प्रतिभागियों हेतु प्रति जनपद रु0 2.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है तथा भारत सरकार से टी0ओ0टी0 तथा दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. धनराशि की स्वीकृति मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. एफ0 एम0आर0 मद सं0 16.3 पर Drugs एवं 16.1 पर Misc.Travel/ POL/ Stationery/ Communication etc हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में करना सुनिश्चित किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
9. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा कारायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक

पत्रांक: एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/एन0पी0पी0सी0/2018-19/6855-10(6) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि राज्य नोडल अधिकारी, एन0पी0पी0सी0 को कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- [www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0